न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 32–तीन/1996 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 31–5–1996 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण क्रमांक 313/1992–93 अपील

1– स्वामीदीन पुत्र रामभरोसा सोनी

2– संतोष कुमार 3– राजकुमार
दोनों पुत्रगण राममिलन

3– गोविन्द प्रसाद पुत्र रामभरोसा सोनी

सभी ग्राम बरोधा तहसील व्यौहारी जिला शहडौल ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– सत्यनारायण उर्फ लल्लू पुत्र भैयालाल

2– रामखिलावन पुत्र रामसनेही गुप्ता

3– गयाप्रसाद पुत्र रामखिलावन

4– जमुनाप्रसाद पुत्र रामखिलावन

5– स्वामीदीन पुत्र भैयालाल गुप्ता

सभी ग्राम व तहसील व्यौहारी जिला शहडौल ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस.के.बाजपेयी)

(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 11 – 8–2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 313/1992–93 अपील में पारित आदेश दिनांक 31–5–1996 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण की भूमि 2191 के अॅशभाग पर निर्माण करके अनावेदकगण ने जबरन कब्जा कर लिया जिसे तहसीलदार व्यौहारी ने प्रकरण कमांक 78 अ–70/88–89 में पारित आदेश दिनांक 30–9–91 से 07 दिवस में अतिकमण हटाने के निर्देश दिये हैं। तहसीलदार व्यौहारी के इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी व्यौहारी के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कमांक 2 अ 70/1991–92 अपील में पारित आदेश दिनांक 25–1–93 से अपील निरस्त कर दी। अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 313/1991–93 अपील में पारित आदेश दिनांक 31–5–1996 से भूमि नगरीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर दिये। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में आये तथ्यों से परिलक्षित है कि वाद विचारित भूमि नगर पालिका क्षेत्र में स्थित है तथा आवासीय प्रयोग की है , कृषि प्रयोग की भूमि नहीं है, जिसके कारण अवैध अतिकमण के आधार पर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के अंतर्गत बेदखली की कार्यवाही नहीं की जा सकती। प्रकरण में आये तथ्यों से परिलक्षित है कि मूल मामला भूमि के स्वत्व पर आधारित है एंव स्वत्व संबंधी विवाद पर विचार करने हेतु राजस्व न्यायालय सक्षम नहीं है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा

संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 313/1991–93 अपील में पारित आदेश दिनांक 31–5–1996 में निकाले गये निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 313/1991–93 अपील में पारित आदेश दिनांक 31–5–1996 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0ए0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
म0प्र0ग्वालियर